

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
छात्रावास अनुभाग

फा० सं० 14-34/लेखा/छात्रावास/2022

दिनांक:- 15/12/2022

ज्ञापन

विषय :- छात्रावास आवास के आबंटन हेतु जमा छात्रावास सुरक्षा धनराशि जब्त करने के संदर्भ में।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि रेजिडेंट/विधार्थी को छात्रावास में कमरे के आबंटन से पहले छात्रावास अनुभाग में छात्रावास सुरक्षा धनराशि रूप 1000/- जमा करने होते हैं यदि कार्यकाल पूरा होने के 3 वर्षों के भीतर आबंटनी द्वारा सुरक्षा धनराशि का दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जाएगी। दिनांक 26.03.2010 को इस संबंध में एक ज्ञापन भी परिचालित किया गया था। (जिसकी प्रतिलिपि साथ में संलग्न है)।

ज्ञापन सं. 4
16/12/22

प्रशासनिक अधिकारी
(छात्रावास)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. रजिस्ट्रार, एम्स
2. प्रोफेसर-इन-चार्ज, कंप्यूटर सुविधा, (इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित)
3. छात्रावास के समस्त सूचनापट्ट

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL
HOSTEL SECTION

No.F.14-34/ACCOUNTS/HOSTEL/2022

Dated: 15.12.2022

MEMORANDUM

Sub:- Regarding forfeit of the Hostel Security Amount.

It has been decided with the approval of the Competent Authority that the "Security Money" of Rs. 1000/- deposited by the Residents/Students in Hostel Section before allotment of Hostel accommodation at the Institute shall be forfeited if the same is not claimed by the allottee within 3 years of the completion of his/her tenure. A memorandum in this regard was also circulated on 26.03.2010 (copy is enclosed).


ADMINISTRATIVE OFFICER
(HOSTELS)

Copy for information:-

1. Registrar, AIIMS
2. Professor In-charge, Computer Facility & with the request to upload this on the Institute Website
3. All Hostel Notice Boards.